भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2968

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती की स्थिति

2968. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती में प्रयुक्त कुल भूमि के क्षेत्रफल, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और उपज का वर्षवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में चालू चीनी मिलों की राज्यवार संख्या, कितनी है और बन्द हुई चीनी मिलों का तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और आंध्र प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान में विलम्ब हुआ है और यदि हाँ, तो बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ई) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार, चीनी मिलों और गन्ना किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, सब्सिडी या राहत का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल, उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज की, वर्षवार और जिलावार, जानकारी **अनुबंध-I** पर है।

(ख): पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में राज्यवार प्रचालनरत चीनी मिलों की संख्या **अनुबंध-II** पर है।

(ग): केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) आंध्र प्रदेश राज्य पर लागू है, और कोई अलग राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) लागू नहीं है। पिछले पाँच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के लिए निर्धारित एफआरपी और राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी), जहाँ कहीं भी लागू हो, वर्षवार **अनुबंध III** पर हैं।

(घ): गन्ना किसानों को गन्ना बकाया भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। कुछ राज्यों में एनसीएलटी मामलों, स्वामित्व संबंधी मामलों आदि जैसे विभिन्न कारणों से गन्ना बकाया राशि की सूचना मिली है। हालाँकि, गन्ना बकाया राशि में लगातार कमी आ रही है। पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न राज्यों में बकाया राशि का विवरण **अनुबंध IV** पर है।

(ङ): चीनी मिलों और गन्ना किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने आवश्यकतानुसार समय-समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में विभिन्न कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

i) केंद्र सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए हर साल गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है।

ii) अधिशेष चीनी को इथेनॉल उत्पादन के लिए देने से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

iii) सरकार ने चीनी की मिल-द्वार कीमतों में गिरावट और गन्ना मूल्य बकाया के संचय को रोकने के लिए चालू चीनी मौसम 2024-25 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

iv) वर्ष 2020-21 के लिए चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागतों और अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन और माल ढुलाई शुल्क की लागत सहित विपणन लागतों पर खर्च के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए लगभग 3493 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। राज्यवार विवरण **अनुबंध-V** पर हैं।

v) चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रारंभ में दिनांक 07-06-2018 से 29 रुपये प्रति किग्रा निर्धारित किया गया था; और दिनांक 14-02-2019 से इसे संशोधित कर 31 रुपये प्रति किग्रा कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश ने गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान और मिलों के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी के लिए सहकारी चीनी मिलों को ऋण की व्यवस्था की है। अधिकांश अन्य चीनी उत्पादक राज्य भी अपने गन्ना उत्पादकों को गन्ना बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कटाई, परिवहन आदि के लिए सहयोग करते हुए सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकारें आवश्यकतानुसार सहकारी चीनी मिलों सहित चीनी मिलों को वित्तीय सहायता, ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज सब्सिडी आदि प्रदान कर रही हैं।

******

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 06 अगस्त 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 2968 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ना खेती के अंतर्गत वर्षवार और जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्रफल '000 हेक्टेयर में, उत्पादन लाख टन में, उपज टन/हेक्टेयर में

क्र.सं.	जिले का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
1	श्रीकाकुलम	3.94	2.84	72	3.38	2.40	71	4.62	3.44	74	3.99	2.79	70	2.5	2.00	70
2	विजयनगरम	5.95	3.89	65	4.49	2.83	63	1.85	1.14	62	2.10	1.40	64	1.2	0.80	62
3	विशाखापटनम	23.64	15.15	64	19.04	9.90	52	5.9	2.88	48	5.24	2.67	51	2.1	1.00	51
4	पूर्वी गोदावरी	1.72	1.32	77	0.92	0.64	70	0.57	0.40	73	0.57	0.40	70	0.3	0.20	70
5	पश्चिम गोदावरी	3.11	3.07	99	3.1	2.73	88	3.91	3.35	85	2.68	2.36	88	0.7	0.50	88
6	कृष्णा	4.46	4.03	90	5.04	4.28	85	4.64	4.22	90	3.69	3.17	86	2.7	2.52	85
7	गुंटूर	0.16	0.14	91	0.14	0.12	87	0.15	0.10	86	0.14	0.12	87	0.2	0.02	84
8	प्रकाशम	0.17	0.12	75	0.18	0.13	72	0.25	0.20	88	0.21	0.15	72	0.1	0.02	70
9	नेल्लोर	0.02	0.68	31	0.007	0.00	60	0.02	0.02	87	0.03	0.02	60	0.01	0.01	60
10	चित्तूर	11.46	10.44	91	11.36	8.06	71	9.72	8.28	85	8.49	6.03	71	5.5	4.60	70
11	कडप्पा	0.07	0.05	76	0.11	0.10	90	0.17	0.13	78	0.16	0.14	90	0.05	0.02	87
12	अनंतपुर	0.06	0.06	98	0.019	0.02	105	0.06	0.04	76	0.05	0.05	105	0.01	0.01	101
13	कुरनूल	0.18	0.20	110	0.13	0.10	87	0.14	0.11	80	0.13	0.10	87	0.02	0.01	90
	कुल	**54.94**	**41.99**	**75**	**47.9**	**31.31**	**77**	**32.0**	**24.31**	**78**	**27.48**	**19.40**	**77**	**15.39**	**11.71**	**76**

अनुबंध II

लोकसभा में दिनांक 06 अगस्त 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 2968 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में प्रचालनरात चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण					
राज्य	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
उत्तर प्रदेश	120	120	118	121	122
महाराष्ट्र	190	200	211	208	200
कर्नाटक	65	72	74	76	79
गुजरात	15	15	16	17	15
तमिलनाडु	28	30	30	30	30
बिहार	10	9	9	9	10
हरियाणा	14	14	14	14	14
पंजाब	16	16	16	15	15
मध्य प्रदेश	20	19	19	19	22
उत्तराखंड	7	8	8	8	8
आंध्र प्रदेश	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**
तेलंगाना	6	7	7	6	7
छतीसगढ़	4	4	4	4	4
ओडिशा	2	2	2	2	2
राजस्थान	1	1	1	1	1

अनुबंध III

लोकसभा में दिनांक 06 अगस्त 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 2968 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 5 चीनी मौसमों का चीनी मौसमवार एफआरपी		
चीनी मौसम	एफआरपी (रुपये/क्विंटल में)	एफआरपी के लिए मूल रिकवरी दर
2020-21	285	10
2021-22	290	10
2022-23	305	10.25
2023-24	315	10.25
2024-25	340	10.25

पिछले पांच चीनी सत्रों के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (रुपये/क्विंटल)						
राज्य	किस्म	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पंजाब	प्रारंभिक	310	360	380	391	401
	मध्य	300		370	381	391
	देर	295		365	381	391
हरियाणा	प्रारंभिक	340	362	372	386	400
	अन्य	335	355	365	379	393
उत्तर प्रदेश	प्रारंभिक	325	350	350	370	370
	सामान्य	315	340	340	360	360
	अस्वीकृत	310	--	335	355	355
उत्तराखंड	प्रारंभिक	327	355	355	375	375
	सामान्य	317	345	345	365	365
	अस्वीकृत	--	--	345	365	365

अनुबंध IV

लोकसभा में दिनांक 06 अगस्त 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 2968 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक **31.07.2025** तक पिछले पांच चीनी सत्रों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का बकाया दर्शाने वाला विवरण					
					आंकड़े करोड़ रुपये में
राज्य	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
उत्तर प्रदेश	0	22	53	37	3487
महाराष्ट्र	10	32	1	7	411
कर्नाटक	0	0	0	0	75
गुजरात	0	0	0	8	979
तमिलनाडु	0	0	0	0	31
बिहार	4	0	0	0	3
हरियाणा	0	0	0	0	70
पंजाब	0	28	0	0	373
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	69
आंध्र प्रदेश	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**
तेलंगाना	0	0	0	0	1
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	51
ओडिशा	0	0	0	0	0

अनुबंध V

लोकसभा में दिनांक 06 अगस्त 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 2968 के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष **2020-21** के लिए चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागतों और अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक परिवहन तथा माल ढुलाई शुल्कों सहित विपणन लागतों पर व्यय के लिए चीनी मिलों को राज्यवार सहायता दर्शाने वाला विवरण		
क्रं.सं.	**राज्य**	**सहायता (करोड़ रुपये में)**
1	उत्तर प्रदेश	1101.85
2	महाराष्ट्र	1478.33
3	कर्नाटक	423.21
4	गुजरात	190.47
5	तमिलनाडु	28.4
6	बिहार	52.41
7	हरियाणा	70.73
8	पंजाब	25.22
9	मध्य प्रदेश	34.44
10	उत्तराखंड	41.56
11	आंध्र प्रदेश	38.22
12	तेलंगाना	8.16
कुल		**3493.0**